



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13798-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 658/2024

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, आयुष विभाग, अनुभाग-1, लखनऊ एवं अन्य
.....अपीलकर्ता

बनाम

डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय

.....प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: वी.पी. नाग (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: विनोद कुमार शुक्ला

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान अपील में उठाया गया मुद्दा सिविल अपील संख्या 3933/2023: भारत संघ एवं अन्य बनाम एम. सिद्धराज में विविध आवेदन डायरी संख्या 2400/2024 में पारित एक आदेश के माध्यम से तय हो चुका है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के मामलों में दिए गए निर्देशों को स्पष्ट/संशोधित किया गया है और इसलिए, अपील का निर्णय उक्त आदेश के संदर्भ में किया जा सकता है।
2. इस तथ्य को देखते हुए कि एम. सिद्धराज (उपर्युक्त) के मामले में, निर्देश दिनांक 01.05.2023 से लाभ प्रदान करने से संबंधित था और वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 01.07.2023 से लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है, अपील में स्पष्ट रूप से कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

आशीष/आर.के.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"